न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —188/2019

अनवान : —

1. बलवान पुत्र दयाराम जाति जाट निवारी गांधीबडी तहसील भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. दयाराम पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
2. सतनाम पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
3. संतोषी पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
4. राजबाला पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 24/25 के मु0 न0 26 किला न0 10, 11, 20, 21, मु0 न0 27 के किला न0 16, 17, 23 ता 25, मु0 न0 32 के किला न0 3 ता 8, मु0 न0 33 के किला न0 1, 2, 9 व 10 कुल 4.8070है0 नहरी 4.6420है0, रास्ता 0.0650है0, खाला 0.1000है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी दयाराम के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 दयाराम का नाम कलमजन कर तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक ......13-03-2020...... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —188/2019

अनवान : —

1. बलवान पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।

— वादी

ब ना म

1. दयाराम पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
2. सतनाम पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
3. संतोषी पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
4. राजबाला पुत्री दयाराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री धर्मपाल बेरवाल वकील **वादी**
श्री सतवीर बैनीवाल वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 13/03/2020

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 24/25 के मु0 न0 26 किला न0 10, 11, 20, 21, मु0 न0 27 के किला न0 16, 17, 23 ता 25, मु0 न0 32 के किला न0 3 ता 8, मु0 न0 33 के किला न0 1, 2, 9 व 10 कुल 4.8070है0 नहरी 4.6420है0, रास्ता 0.0650है0, खाला 0.1000है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी दयाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा ठाकरराम की खातेदारी हुआ करती थी। ठाकरराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी दयाराम के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी दयाराम कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी दयाराम अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी दयाराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 4 एवं वादी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी बलवान पुत्र दयाराम जाति निवासी गांधीबडी तहसील भादरा के साक्षय करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी ने वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गांधीबडी प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 4 एसडीआर खाता सं0 24/25 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 4 एसडीआर संवत 2031 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 24/25 के मु0 न0 26 किला न0 10, 11, 20, 21, मु0 न0 27 के किला न0 16, 17, 23 ता 25, मु0 न0 32 के किला न0 3 ता 8, मु0 न0 33 के किला न0 1, 2, 9 व 10 कुल 4.8070है0 नहरी 4.6420है0, रास्ता 0.0650है0, खाला 0.1000है0 खातेदारी प्रतिवादी दयाराम के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये अपना राजीनामा पेश कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 24/25 के मु0 न0 26 किला न0 10, 11, 20, 21, मु0 न0 27 के किला न0 16, 17, 23 ता 25, मु0 न0 32 के किला न0 3 ता 8, मु0 न0 33 के किला न0 1, 2, 9 व 10 कुल 4.8070है0 नहरी 4.6420है0, रास्ता 0.0650है0, खाला 0.1000है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी दयाराम के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 दयाराम का नाम कलमजन कर तथा प्रतिवादी सं. 3 व 4 के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ